



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 13/4

दिनांक: 2/4/5

प्रेषक: बी०सी० निगम, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी
दक्षिणी छोटानागपुर, राँची।

राँची, दिनांक—

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के
आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची,
दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-
7/यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01-निदेशन
एवं प्रशासन" उपशीर्ष के विभिन्न ईकाईयों में 36,80,000/- रु० की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-18/2014-15
/300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का
पत्रांक- 7/यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा बिहार सरकार,
वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-4-05/98 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक
में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800
दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रासंगिक पत्र के आलोक में 15.11.2000 के बाद का
बकाया वेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया
जायेगा।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BSCDA/01-15-16/11B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथोः

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची

o/c

54

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवर्तित राशि
5	N 19 240601001010442	9276	DRNFWL203	30,000.00
	2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन			
	01 . वानिकी		R.R. HEMBROM	रुपये तीस हजार
	001 . निदेशन तथा प्रशासन			
	01 . निदेशन एवं प्रशासन		ADDI PCCF &	
	04 . मोटरगाड़ियाँ / ईंधन		DIR.EXT.FOR. S.C.R	
	42 . मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत			



ग:

30,000.00

निक योग:

रुपये छत्तीस लाख अस्सी हजार

3,680,000.00

(R. C. NIGAM)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI II